न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.*

मु0 सं0	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
1 / 77 / 15	25.05.2015	17.05.2018

उनवान

1. मिन्दो बाई पुत्री लक्ष्मीबाई दोहती बाकरसिंह
2. छिन्दरसिंह पुत्र लक्ष्मीबाई दोहती बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मुबाकिरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

................अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. रत्तोबाई बेवा बाकरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. जसपालसिंह
3. गुरूचरणसिंह पुत्रांन बचनसिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर।
4. ग्राम पंचायत खोह जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ।

....रेस्पाडेन्टान

<u>(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत खोह दिनांक 05.09.2005, ई0 नं0 47)</u>

<u>निर्णय</u>

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बाकरसिंह अपीलान्ट का नाना था जो फौत हो गया जिसके रत्तोदेवी उसकी पत्नी व पांच पुत्र इस्लानसिंह, सतवानसिंह, बचनसिह, छिन्दरसिंह व बलवीरसिंह हुए व दो लडकी लक्ष्मीबाई व तारोबाई पैदा हुई। और जब बाकरसिंह की विरासत का इन्तकाल तस्दीक हुआ तब बाकरसिंह के पांचों पुत्र व एक पुत्री तारोबाई ने रेस्पाडेन्टा सं0 1 के हक में हक त्याग कर दिया और अपीलान्ट की माता लक्ष्मीबाई जो फौत हो गई उसका 1/8 हिस्सा बदस्तूर रहा और इस प्रकार अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.78 हैक्ट0 वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है में अपने 1/8 हिस्से पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है और शेष हिस्से पर रेस्पा0 सं0 1 काबिज है और दिनांक 27.04.2015 को जब अपीलान्ट अपनी आराजी पर काश्त कर रहे थे तो रेस्पा0 सं0 1 ला0 3 विवादित आराजी पर आये और अपीलान्ट को उनके हिस्से से जबरन बेदखल करने व अपना जबरन कब्जा करने को उतारू हो गये इस पर अपीलान्ट

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

ने ऐतराज किया और कहा कि उक्त आराजी में हम अपनी माता के फुट पर 1/8 हिस्से पर काबिज है तो इस पर रेस्पा० सं० 1 ला० 3 ने जाहिर किया कि तुम्हारा कोई हिस्सा नही है और न तुम्हारी माता का है उक्त आराजी सालिम रेस्पा० सं० 1 के नाम थी और उस ही के नाम इन्तकाल तस्दीक हुआ और उसने उक्त आराजी हम रेस्पा० सं० 2 व 3 को दान कर दी है इस कारण तुमको आराजी से बेदखल होना पडेगा। सरपंच ग्राम पंचायत खोह ने इन्तकाल तस्दीक करते वक्त वारिसान की व कब्जे की जांच नही की और आनन फानन में गलत प्रकार से इन्तकाल तस्दीक कर दिया है जिन्होने उक्त निर्णय में अपनी भयंकर भूल का परिचय दिया हैं जबकि ग्राम पंचायत को इन्तकाल तस्दीक करते वक्त कब्जा व मौके की जांच करनी चाहिए थी।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत खोह दिनांक 05.09.2005 बाबत इन्तकाल नम्बर 47 निरस्त फरमाया जावे व जो अन्य उचित आज्ञा न्याय संगत हो प्रदान की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पाडेन्टान को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा० की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलबध दस्तावेजात के अवलोकन से बाकरसिंह अपीलान्ट का नाना था जो फौत हो गया जिसके रत्तोदेवी उसकी पत्नी व पांच पुत्र हरनामसिंह, सतवानसिंह, बचनसिह, छिन्दरसिंह व बलवीरसिंह हुए व दो लडकी लक्ष्मीबाई व तारोबाई पैदा हुई। और जब बाकरसिंह की विरासत का इन्तकाल तस्दीक हुआ तब बाकरसिंह के पांचों पुत्र व एक पुत्री तारोबाई ने रेस्पाडेन्टा सं० 1 के हक में हक त्याग कर दिया और अपीलान्ट की माता लक्ष्मीबाई जो फौत हो गई उसका 1/8 हिस्सा बदस्तूर रहा । और अपीलान्ट अपने 1/8 हिस्से पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है और शेष हिस्से पर रेस्पा० सं० 1 काबिज है। सरपंच ग्राम पंचायत खोह ने इन्तकाल तस्दीक करते वक्त वारिसान की व

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

कब्जे की जांच नही की और आनन फानन में गलत प्रकार से इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। अतः ग्राम पंचायत खोह इन्तकाल सं0 47 दिनांक 05.09.2005 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल सं0 47 दिनांक 05.09.2005 ग्राम बांधोली ग्राम पंचायत खोह तहसील रामगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनकर, वारिसान की विस्तृत जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.05.2018 को लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह मजमेआम में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवाडी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)